

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची-834001

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड पशुपालन सेवा के पशुचिकित्सक, (मूल स्तर) के पद पर विशेष भर्ती नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या-05/2021) के संबंध में आवश्यक सूचना।

झारखण्ड पशुपालन सेवा के पशुचिकित्सक, (मूल स्तर) के पद पर विशेष भर्ती नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या-05/2021) हेतु औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार कार्यक्रम आयोग कार्यालय में आयोजित है। अभिलेख सत्यापन साक्षात्कार से एक दिन पूर्व दिनांक-18.12.2022 को पूर्वाह्न-10:00 एवं साक्षात्कार दिनांक-19.12.2022 को पूर्वाह्न-09:30 बजे निर्धारित है। अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार कार्यक्रम की तिथि एवं पूर्ण विवरणी आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

2. आयोग द्वारा अस्वीकृत अभ्यर्थी की सूची कारण सहित आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अपलोड है।

3. साक्षात्कार हेतु औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रमानुसार अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

4. अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलावा-पत्र (Call letter) डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध सूची के अनुसार दिनांक-12.12.2022 से अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु बुलावा-पत्र (e-Call letter) डाउनलोड कर सकेंगे। बुलावा-पत्र (e-Call letter) डाउनलोड करने में कोई असुविधा होने पर आयोग के हेल्पलाइन नम्बर +919431301419/+919431301636 पर कार्यदिवस में पूर्वाह्न-11:00 बजे से अपराह्न-5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।

5. अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के दौरान ऑनलाईन आवेदन में अंकित प्रविष्टि एवं तदनुसार समर्पित प्रमाण-पत्रों (Hard Copy) के अनुरूप निम्न प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति 02 (दो) प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-

- (i) मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति।
- (ii) इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति।
- (iii) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/माहविद्यालय/संस्थान से पशुचिकित्सा विज्ञान स्नातक (B.V.Sc & AH) की उपाधि प्रमाण-पत्र एवं सभी सेमेस्टरों का अंक पत्र।
- (iv) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् या झारखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् पशुचिकित्सक के रूप में निर्बंधित होने संबंधी प्रमाण-पत्र (updated)।
- (v) जाति प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो)।

नोट:-(a) ST/SC/BC-I कोटि के अभ्यर्थी को अपना जाति प्रमाण-पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में लाना अनिवार्य होगा।

(b) आरक्षण के लाभ का दावा हेतु झारखण्ड का स्थाई निवास प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य होगा।

- (vi) अनापत्ति प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो)।
- (vii) दो पासपोर्ट साईज का रंगीन अद्यतन फोटोग्राफ।

6. जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होंगे उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

कृ०पृ०उ०

7. अभिलेख सत्यापन के दौरान सभी प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
8. अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के आधार पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थिता निर्धारित की जायेगी।
9. अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार कार्यक्रम हेतु निर्धारित समयानुसार अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
10. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह0/-
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।